महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

संख्या-6/2018/724/46-2-18-32/2015

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ लि.,
लखनऊ।

3- प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

4- अध्यासी,
समस्त चीनी मिलें (निजी क्षेत्र), उ.प्र.।

5- महासचिव,
उ.प्र. चीनी मिल्स एसोसिएशन,
चिन्टल हाउस, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 अप्रैल, 2018

विषयः- जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-4/2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017, दिनांक 21 फरवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश द्वारा प्रदेश के जैव ऊर्जा आधारित पर्यावरण प्रिय स्थायी, आर्थिक विकास हेतु ''वैल्यू चेन मैकेनिज्म'' के अन्तर्गत ''उद्यमिता मोड'' में कार्य करने के अवसरों के सृजन हेतु जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू करने का नीतिगत निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव ऊर्जा आधारित विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु अनेक रियायतें जैसे S-GST में शतप्रतिशत छूट, जैव ऊर्जा उद्यम स्थापना हेतु भूमि क्रय करने हेतु स्टाम्प ड्यूटी में शतप्रतिशत छूट एवं परियोजना लागत के अनुसार पूंजीगत अनुदान आदि की सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से किसानों का योगदान अति महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषकों के खेत पर उत्पादित होने वाला कृषि अपशिष्ट तथा उनके पास उपलब्ध कृषि हेतु पूर्णतः निष्प्रयोज्य भूमि पर उत्पादित अनवांछित बायोमास उक्त जैव ऊर्जा उद्यम हेतु आवश्यक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सहकारी/निगम तथा निजी क्षेत्र की कुल 119 चीनी मिलें स्थापित है, जिनकी अधिष्ठापित पेराई क्षमता लगभग 7.65 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन चीनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मिलों द्वारा संकलित रूप से 827 लाख टन गन्ने की पेराई की गई जिनसे लगभग 24.81 लाख टन प्रेस मड के साथ-साथ लगभग 248.10 लाख मीट्रिक टन खोई सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। साथ ही किसानों के खेत में उत्पादित लगभग 1665 लाख टन गन्ने से लगभग 7-8 लाख टन सूखी पत्तियां/ट्रेसेस जैव अपशिष्ट के रूप में उत्पादित होता है। गन्ने की पत्तियां/सुगर केन ट्रेस आदि की मल्चिंग कर भूमि में कार्बनिक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है किन्तु तकनीकी जानकारी के अभाव में कई किसान इसे जला देते हैं, जिससे स्मोग जैसी समस्या उत्पन्न होती है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी ऐसा करना न केवल दण्डनीय है वरन् इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है।

4- जहां तक चीनी मिलों द्वारा कोजेनरेशन हेतु गन्ने की खोई के उपयोग का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि कोजेनरेशन के लिए उपयोग में लाई गयी खोई कुल उत्पादित खोई का लगभग 95 प्रतिशत है। खोई के शेष अंश, तथा प्रेसमड का सम्बन्धित मिलों द्वारा अन्य वैकल्पिक एवं बेहतर उपयोग भी किया जा सकता है।

5- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत गन्ने की सूखी पत्तियों एवं अन्य ट्रेसेज, प्रेसमड तथा अवशेष बगास के वैकल्पिक उपयोग के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकती हैः-

(क) चीनी मिलें अपने क्रयकेन्द्रों पर सूखी पत्तियों/सुगरकेन ट्रेसेज के संकलन की व्यवस्था कर स्वयं बायोमास से बायोकोल का उत्पादन कर जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए।

(ख) सम्बन्धित मिलें/गन्ना समितियां स्वयं अथवा जागरूक गन्ना किसानों के माध्यम से गन्ने की सूखी पत्तियों/ट्रेसेज आदि के संकलन तथा ऐसे अनुपयोगी बायोमास से बायोकोल उत्पादन की इकाईयां स्थापित करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करें। सम्बन्धित उत्पादित बायोकोल (पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स) चीनी मिल द्वारा प्रभावी जैव ईंधन के रूप में स्वयं उपयोग में लाया जाए अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के ईंट भट्ठों में बायोकोल के रूप में आपूर्ति कर अतिरिक्त लाभ अर्जित किया जाए।

(ग) उत्पादित प्रेस मड तथा ई.टी.पी. स्लज (यदि उपलब्ध हो) से बायो सी.एन.जी. उत्पादन की परियोजना स्थापित की जा सकती है जिसके माध्यम से 7-8 किग्रा. प्रेस मड से 1 घन मीटर बायोगैस अथवा 425 ग्राम बायो-सी.एन.जी. का उत्पादन लिया जा सकता है। साथ ही उपयोग में लाये गये प्रेसमड के वजन का लगभग 20 प्रतिशत उच्च गुणवत्ता की खाद (बायो मैन्योर) के रूप में प्राप्त किया जाए जो कार्बनिक खाद के रूप में खेत की उर्वरा शक्ति एवं मृदा कार्बन बढ़ाने में सहायक हो सकता है। सम्बन्धित चीनी मिलें स्वयं अथवा क्षेत्रीय उद्यमियों को प्रेरित कर ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने की व्यवस्था कर सकती है।

(घ) उक्त बिन्दु संख्या-(ग) पर उत्पादित बायो सी.एन.जी. सम्बन्धित चीनी मिलें स्वयं के इस्तेमाल के लिए प्रयोग में ला सकती है तथा शेष बचे हुए बायो सी.एन.जी. को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की शर्तों के अधीन सी.एन.जी. रूट से बिक्री हेतु पेट्रोलियम कम्पनियों के साथ अनुबन्ध कर सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(च) गन्ना किसानों के पास उपलब्ध कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि का उपयोग कर सम्बन्धित किसानों के आय संवर्द्धन हेतु विभिन्न प्रकार के बायोमास उत्पादन तथा गन्ने की अन्तः कृषि के रूप में विभिन्न औषधीय एवं सगंध पौधो की खेती को भी अपनाया जा सकता है। उक्त समस्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, कक्ष सं.-534-535, पांचवा तल, योजना भवन, लखनऊ-226001, फोनः 0522-2236213, Website: http://bio-energy.up.nic.in से सीधे अथवा गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

(छ) उपर्युक्त परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के सृजन तथा कृषकों की वैकल्पिक आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी।

(ज) उ.प्र. राज्य चीनी निगम/उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिल इकाईयों में प्रस्तावित परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु निगम/संघ मुख्यालय स्तर से नोडल अधिकारी भी नामित किया जाए।

अतः जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गन्ने की अनुपयोगी सूखी पत्तियों/अवशिष्टों से बायोकोल उत्पादन, प्रेसमड से सी.एन.जी. उत्पादन एवं सूखे अवशिष्टों के जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण तथा इस सम्बन्ध में अद्यतन प्रतिबन्धों आदि के प्रति कृषकों में जागरूकता लाने तथा चीनी मिलों में बायोकोल/सी.एन.जी. इकाईयां लगाने के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2018/724(1)/46-2-18-तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ.प्र. शासन।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. सदस्य सचिव, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
12. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ.प्र. राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, कक्ष सं0-534-535, पांचवा तल, योजना भवन, लखनऊ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।